HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// CIRCULAR//

No. B/4297 **Jabalpur, dated the 04th November, 2020**
III-8-6/23 XIII

In continuation of Registry Circular no. No. D/4348/ III-8-6/23 XIII, Jabalpur, dated the 23rd October, 2020, in the matter of LTC, this is to inform to all concerned that in the light of Office Memorandum dated September 19, 2017 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi and order no. F 4-2/2016/Rule/IV, Bhopal dated 05.11.2016 of Finance Department of Government of Madhya Pradesh, Bhopal, the Judicial Officers of M.P. are eligible for Economy Class Air Travel only and the facility of Business Class Air Travel is not admissible at present.

Enclosures:- As above.

BY ORDER OF
HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
04.11.2020
(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR (W&I)

Endt.No. B/4298 ***Jabalpur, dated the 04th November, 2020***
III-8-6/23 XIII
Copy forwarded to :-

1- The Registrar-cum-P.P.S. to Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of M.P., Jabalpur for information of His Lordship;
2- P.A. to the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur with direction to place before Registrar General;
3- The Principal Secretary, Department of Law & Legislative Affairs, Govt. of M.P., Bhopal;
4- The Principal Registrar, High Court of M.P., Bench Indore and Bench Gwalior;
5- The District Judge, (Inspection), Jabalpur/Indore/Gwalior;
6- The Principal Registrar, Exam/Vigilance/Judicial, Principal Seat, High Court of M.P., Jabalpur;
7- The Director, MPSJA, Jabalpur;
8- The Member Secretary, SALSA, Jabalpur;
9- The District & Sessions Judges in the State of M.P. with request to circulate the information amongst the Judicial Officers at their Establishment;
10- The Principal Judges, Family Courts in the State of M.P. with request to circulate the information amongst the Judicial Officers at their Establishment;
11- Registrar, D.E./Admin/Vigilance/I.L./D.E./J-I & J-II/W&I/Exam High Court of M.P., Jabalpur;
12- Registrar, Dharamshastra National Law University, Jabalpur;
13- Member Secretary/O.S.D., SCMS, High Court of M.P.;
14- The O.S.D. (Computer)/ High Court of M.P., Jabalpur;
15- The O.S.D. (Accounts) High Court of M.P., Jabalpur,
16- Deputy Controller (Accounts), High Court of M.P., Jabalpur,

for information & necessary action.

04.11.2020
(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR (W&I)

--00--

No. 31011/8/2017-Estt.A-IV
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-IV Desk
***

North Block New Delhi.
Dated September 19, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Travel entitlements of Government employees for the purpose of LTC post Seventh Central Pay Commission-clarification reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 31011/4/2008-Estt.A-IV dated 23.09.2008, which inter-alia provides that travel entitlements for the purpose of official tour/transfer or LTC, will be the same but no daily allowance shall be admissible for travel on LTC. Further, the facility shall be admissible only in respect of journeys performed in vehicles operated by the Government or any Corporation in the public sector run by the Central or State Government or a local body.

2. Consequent upon the decisions taken by Government on the recommendations of Seventh CPC relating to Travelling Allowance entitlements of Central Government employees, TA Rules have undergone changes vide Ministry of Finance's O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017.

3. In this regard, it is clarified that the travel entitlements of Government servants for the purpose of LTC shall be the same as TA entitlements as notified vide Ministry of Finance's O.M. dated 13.07.2017, **except the air travel entitlement for Level 6 to Level 8 of the Pay Matrix,** which is allowed in respect of TA only and not for LTC.

4. Further, the following conditions may also be noted:

i. No daily allowance shall be admissible for travel on LTC.
ii. Any incidental expenses and the expenditure incurred on local journeys shall not be admissible.
iii. Reimbursement for the purpose of LTC shall be admissible in respect of journeys performed in vehicles operated by the Government or any Corporation in the public sector run by the Central or State Government or a local body.
iv. In case of journey between the places not connected by any public/Government means of transport, the Government servant shall be allowed reimbursement as per his entitlement for journey on transfer for a maximum limit of 100 Kms covered by the private/personal transport based on a self-certification from the Government servant. Beyond this, the expenditure shall be borne by the Government servant.

Contd...

From pre-page:

v. Travel by Premium trains/Premium Tatkal trains/Suvidha trains is now allowed on LTC. Further, reimbursement of tatkal charges or premium tatkal charges shall also be admissible for the purpose of LTC.

vi. Flexi fare (dynamic fare) applicable in Rajdhani/Shatabdi/Duronto trains shall be admissible for the journey(s) performed by these trains on LTC. This dynamic fare component shall not be admissible in cases where a non-entitled Government servant travels by air and claims reimbursement for the entitled class of Rajdhani/Shatabdi/Duronto trains.

5. **This O.M. will take effect from July 1, 2017.**

6. Hindi version will follow.

(Surya Narayan Jha)
Under Secretary to the Government of India

To

The Secretaries
All Ministries/Departments of Government of India
(As per the standard list)

Copy to:-

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigations, New Delhi.
5. Parliament Library, New Delhi.
6. All Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
8. All attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
9. NIC, DoP&T with the request to upload this OM on Department's website (Notifications << OMs/Orders << Establishment << LTC Rules).
10. Hindi section for Hindi version.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 05 नवम्बर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन ।
संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 5 सितम्बर 2012.

--•--

राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा किया गया है।

2/ वर्ष 2012 के पश्चात मंहगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित आदेश को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी	ग्रेड वेतन
ए	₹ 7600 एवं अधिक
बी	₹ 6600 एवं अधिक पर ₹ 7600 से कम
सी	₹ 4200 एवं अधिक पर ₹ 6600 से कम
डी	₹ 2400 एवं अधिक पर ₹ 4200 से कम
ई	₹ 2400 से कम

(2) वाहन भत्ता - ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकटस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वंय के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिये उन्हें नियामानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

(₹ प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से.	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
201 से 300	925	375
301 से 450	1400	500
451 से 600	1700	625
601 से 800	2000	750
800 से अधिक	2500	850

(3) **दैनिक भत्ता** - यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30), मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55-ए अनुसार) को समेकित किया गया था । समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये विशेष दर .	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर .
1	2	3	4
ए	250	375	500
बी	200	300	400
सी	150	225	300
डी	125	185	250
ई	85	130	175

(4) यात्रा के साधन - लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु निम्नानुसार पात्रतायें निर्धारित की जाती है :-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
1	2	3	4
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011/नियम/चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 या अधिक है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होगें । माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास /बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी ।

(5) **मील भत्ता** - पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वंय के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में
1	2	3	4
1.	ए श्रेणी के ₹ 7600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हे शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	6/-	12500/-
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	2.50/-	2500/-
3	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	1.25/-	600/-

(6) **ठहरने की पात्रता** - यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली,मुम्बई, कोलकत्ता, चैन्नई, बैंगलोर,हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के(कॉलम 2 को छोड़कर) स्थानों में होटल में ठहरने पर .	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर/ महानगर में मित्र / रिश्तेदार के यहां ठहरने पर	म.प्र.पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिये पात्रता
1	2	3	4	5	6
ए	5000	3750	2500	500	ए.सी.डीलक्स कक्ष/ ए.सी.कक्ष
बी	3750	2800	1875	450	ए.सी.कक्ष
सी	2500	1875	1250	375	-
डी	1250	925	625	300	-
ई	625	475	300	250	-

टीप-उक्त तालिका के कॉलम-6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपरोक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा । श्रेणी 'सी','डी' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवार पर ए.सी.कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जाएगी ।

(7) **प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -**

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि. (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
1	2	3	4
1	ए	1500	325
2	बी	1000	250
3	सी	625	185
4	डी	375	125
5	ई	185	60

(8) **स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन** - शासकीय सेवक के जनहित में स्थानातंरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	25
2	"सी" एवं "डी"	15
3	"ई"	10

(9) **स्थानान्तरण अनुदान** - शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
1	ए	3750
2	बी	3000
3	सी	2250
4	डी	1500
5	ई	1125

3/ यह आदेश दिनांक 01-11-2016 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा ।

4/ मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में यथाआवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 05 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जवलपुर
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
7. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जवलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
27. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग